न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4045–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनरांक 28–11–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला धार प्रकरण कमांक 78/2013–14/अ–6.

———

1– बहादुर पिता पूनमसिंह राजपूत
2– बनेसिंह उर्फ सजनसिंह पिता पूनमसिंह राजपूत
3– मलखानसिंह पिता जोगासिंह राजपूत
4– लाखन पिता जोगसिंह जाति राजपूत
5– बाबू पिता छितरसिंह जाति राजपूत
6– विकम पिता छितरसिंह राजपूत
7– भागवंताबाई पिता पूनमसिंह राजपूत ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– जगदीश पिता रामराव
2– उषा बाई पिता रामराव पति किशन
3– नीमाबाई पिता रामराव पति रवि
4– श्यामबाई पिता रामराव
सभी निवासी ग्राम नारायणपुरा
तह.व जिला धार म0प्र0
5– सुनिताबाई पिता रामराव पति विजय
निवासी बालगढ़ तहसील व जिला देवास
6– पटवारी हाजा ग्राम रायण तहसील व
जिला धार .....अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण.
श्री एस.पी.धाकड़, अभिभाषक – अनावेदक कमांक 1 से 5.
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 6.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/10/15 को पारित)

.....

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे

संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम रायण प.ह.नं. 65 तहसील धार में स्थित भूमि सर्वे नं. 44, 71, 308, 352, 356, 398, 556, 562, 563, 586, 587, 588 कुल सर्वे नम्बर 12 कुल रकबा 8.671 हैक्टर पर उनके पिता रामाराव पिता गणपत राव के नाम स्थित है । रामाराव की मृत्यु 20–5–86 को हो चुकी है । अनावेदकगण उनके वैध वारिसान हैं अतः वारिस नाते प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण किया जाये । उक्त आवेदन भूमिस्वामी रामाराव की मृत्यु के 28 वर्ष बाद दिनरांक 2–6–2014 को पेश किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 78/2013–14कमांक 78/2013–14/अ–6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर 1950 के पूर्व से उनके पूर्वज पूरनसिंह व वर्तमान में वे काश्त कर रहे हैं अनावेदकों की कभी काश्त नहीं रही है जागीर समाप्ति अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदक पक्का कृषक हैं और विधि से अपना नाम भूस्वामी स्वत्व से कराने के अधिकारी हैं । यह भी आपत्ति की गई कि उक्त विवादित भूमि के स्वत्व का प्रकरण दीवानी न्यायालय में प्रचलित है इसलिए नामांतरण प्रकरण स्थगित किया जाये । तहसीलदार द्वारा आवेदकों की आपत्ति आलोच्य आदेश दिनांक 28–11–2014 द्वारा निरस्त की जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्कों में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनके पूर्वजों का वर्ष 1950 के पूर्व से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । पूर्व में उनके पूर्वज पूनमसिंह उक्त भूमि पर काश्त करते थे उनकी मृत्यु के उपरांत आवेदक काश्त कर रहे हैं । अनावेदकों द्वारा भूमि पर कभी काश्त नहीं की गई । उक्त भूमि पर जागीर समाप्ति दिनांक के पूर्व से आवेदकों की काश्त है अनावेदकों एवं उसके पूर्वजों ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की है इसलिए आवेदकगण जागीर समाप्ति विधान की धारा 20 के तहत पक्का कृषक हैं और संहिता के प्रावधानों के तहत भूमिस्वामी हो गये हैं और विधि से अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों का कब्जा बतौर हक मालिक नाते खुले रूप से बिना बाधा के है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी आवेदकगण भूमिस्वामी हो गये हैं इस कारण अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज कराने के अधिकारी हैं । इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के न्यायदृष्टांत 2001 आर.एन. 343 की ओर आकर्षित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी रामराव पिता गणपत राव मराठा के वारिस नहीं हैं । अनावेदकगण फर्जी वारिसान बनकर उपस्थित हुए हैं । अनावेदकों के अनुसार रामराव की मृत्यु वर्ष 1986 में हुई है । यदि वे मृतक के वारिस थे 'तो 28 वर्षों तक नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की इसका कोई कारण उन्होंने अपने आवेदन में नहीं दिया है । अंत में यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में दीवानी न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है इसलिए राजस्व न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों का नामांतरण करने का अनुरोध किया गया विकल्प में यह भी अनुरोध किया गया कि दीवानी न्यायालयक में प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय में वारिसान के आधार पर नामांयतरण किया जाना है जिसमें निगरानी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 6 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 2–6–14 को प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें अनावेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना आधार पर नामांतरण की मांग 28 वर्ष उपरांत की गई है । उक्त आवेदन पर कार्यवाही के दौरान आवेदक बहादुर सिंह आदि द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमियों पर उनके पूर्वज पूनमसिंह का वर्ष 1950 के पूर्व अर्थात जागीर समाप्ति दिनांक के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा चला आ रहा है । पूनमसिंह की मृत्यु के उपरांत आवेदक बहादुर सिंह का कब्जा निरंतर चला आ रहा है । इस कारण वे जागीर समाप्ति विधान की धारा 20

के तहत भूमिस्वामी हो गये हैं और संहिता के प्रावधानों के तहत भूमिस्वामी हो गये हैं अतः उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाये । यह भी आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है अतः व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक नामांतरण कार्यवाही स्थगित रखी जाये । आवेदकगण बहादुर सिंह आदि की आपत्ति को तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में वारिसों का नामांतरण किया जाना आवश्यक मानते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि प्रकरण में पटवारी की जो रिर्पोट संलग्न है उसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी रामराव पुत्र गणपतराव जाति मराठा थे जिनके कोई औलाद नहीं थी तथा रामराव की कृषि भूमि पर वर्तमान में आवेदक बहादुर सिंह आदि काबिज हैं । पटवारी रिर्पोट के अतिरिक्त अभिलेख में राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट पृष्ठ कमांक 33 पर संलग्न है उसमें रामराव के संबंध में यह उल्लेख है कि उक्त नाम का व्यक्ति ग्राम दिव्ठान में न कभी निवास करता था और ना ही वर्तमान में । उसके एवं उसके वारिसों के संबंध में भी ग्राम वासियों द्वारा कोई जानकारी न देने का उल्लेख किया गया है । राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट में ग्राम नारायणपुर के पंचो द्वारा रामाराव पिता गणपत राव के 15–20 वर्ष पूर्व फोत होने एवं अनावेदकों के उसके वारिस होने की बात कही गई है किंतु प्रकरण में ग्राम पंचायत नारायण पुरा के पत्र दिनांक 25–8–14 की प्रति संलग्न है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनावेदक जगदीश के पिता का नाम रामाजी है । रामाजी की मृत्यु उपरांत उसकी ग्राम नारायणपुर स्थित भूमियों पर जगदीश व उसकी बहनों का नामांतरण हुआ था । ग्राम नारायणपुर तह. धार में रामराव नामक व्यक्ति निवास नहीं करता है अनावेदक जगदीश रामाजी नाम के व्यक्ति का वारिस है रामराव पिता गणपतराव का वारिस नहीं है । इस प्रकार जहां तक अनावेदकों के मृतक रामराव के वारिस होने का प्रश्न है संदेहास्पद है । मृतक भूमिस्वामी रामराव पुत्र गणपतराव की मृत्यु के 28 वर्षो तक अनावेदकों द्वारा कोई कार्यवाही न करना भी संदेह उत्पन्न करता है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकों को मृतक रामराव पुत्र गणपतराव के वारिस मानकर वारिसाना नामांतरण की कार्यवाही करना न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है ।

7/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक बहादुर सिंह आदि द्वारा, अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व ही दिनांक 17–4–14 को

वादग्रस्त भूमि पर वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जो अभी लंबित है । इस संबंध न्यायदृष्टांत 1987 सीसीएलजे नोट 65, 2012 आर. एन. 316 एवं 1976 आर.एन. 116 अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे. नोट 65 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 110 – विवादास्पद भूमि – स्वत्वाधिकार घोषणा के लिए सिविल वाद विचाराधीन – उचित प्रकिया यह है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही सिविल वाद के निराकरण तक प्रास्थगित की जाये । "

न्यायदृष्टांत 2012 आर.एन. 316 जो न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे.नोट 65 एवं माननीय उच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों पर आधारित है, में राजस्व मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 109 तथा 110– नामांतरण के विषय में विवाद – हक के प्रश्न पर सिविल वाद लंबित – सिविल न्यायालय के निर्णय तक – राजस्व न्यायालय के समक्ष नामांतरण कार्यवाही चलाने योग्य नहीं ।

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1976 आर0एन0 116 में राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 109 तथा 110 सिविल वाद लंबित राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक रूकना चाहिए । "

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा इस वैधानिक बिंदु को देखते हुए कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–14 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक प्रकरण में यथास्थिति रखी जाये और जो भी व्यवहार न्यायालय का अंतिम निर्णय हो उसके अनुसार कार्यवाही की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर